(०८)

पटना समाहरणालय, पटना।

(जिला–शस्त्र–शाखा)

–: आदेश :–

29.01.2013

26.02.2013

विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–9–681/09 में आवेदक **श्री सोनल कुमार,** पिता–स्व0 नवीन कुमार, सा0–मेसर्स सत्या गैस एजेन्सी, रोड नं0–16, थाना– गर्दनीबाग, जिला–पटना, स्थायी पता–ग्राम+पो0–अमहारा, थाना–बिहटा, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर0 रिवाल्वर शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करने की कार्रवाई की गई।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना द्वारा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के जाँच प्रतिवेदन के साथ उक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र मूल में अग्रसारित कर आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी गयी है।

पुलिस उपाधीक्षक, सचिवालय, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, गर्दनीबाग के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र अग्रसारित किया गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, दानापुर द्वारा थानाध्यक्ष, बिहटा के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया गया है। प्रतिवेदन में यह भी अंकित किया गया है कि आवेदक के पिता के नाम से पूर्व से अनुज्ञप्ति प्राप्त है, जिसे अपने नाम से स्थानांतरित कराना चाहता है।

थानाध्यक्ष, गर्दनीबाग के विस्तृत जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया, जाँच प्रपत्र में प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के गैस एजेन्सी का रूपया अपराधियों द्वारा लूट लिया गया था, जिसके संदर्भ में सचिवालय थाना कांड सं0–59/07 दर्ज है, फलस्वरूप शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है। पूर्व से इनके पिता के नाम शस्त्र अनुज्ञप्ति था, किन्तु आवेदक के पिता की मृत्यु हो चुकी है।

शस्त्र अधिनियम 1959, शस्त्र नियम 1962, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र संख्या–V–11016/16/2009–शस्त्र, दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश एवं प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त **श्री सोनल कुमार,** पिता–स्व0 नवीन कुमार, सा0–मेसर्स सत्या गैस एजेन्सी, रोड नं0–16, थाना–गर्दनीबाग, जिला–पटना, स्थायी पता–ग्राम+पो0–अमहारा, थाना–बिहटा, जिला–पटना को उनके जान–माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन0पी0बोर रिवाल्वर हेतु अनुज्ञप्ति की **स्वीकृति** प्रदान की जाती है।

श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगें।

लेखापित एवं संशोधित।

26/2/13   26/02/13

जिला दण्डाधिकारी,   जिला दण्डाधिकारी,
पटना।   पटना।

D:\RANJIT KUMAR\Arms Branch\PATHAK JEE\Order.doc